न्यायालय उपजिलाधिकारी बेल्थरारोड ,बलिया।

धारा– 143 ज0वि0अ0

मु0नं0 13 /2015

मौजा– अखोप

परगना–सि0गर्वी

शिवनरायन साधूसरन एजु0 बनाम भू0प्र0समिति

निर्णय

प्रस्तुत वाद शिवनारायन साधूसरन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रेसिडेंट राजनारायन पुत्र साधूसरन निवासीगण ग्राम– ससनाबहादुरपुर, परगना सि0गर्वी, तहसील बेल्थरारोड, जिला– बलिया ने दाखिल कर कथन किया है कि . मौजा उपर्युक्त के आ0नं0 705 रकबा 2.023हे0 के संकमणीय भूमिधर है , उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य नही होताहै, भूमि कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होती है, तथा उसका उपयोग वादीगण द्वारा बतौर शिक्षण के रूप मे किया जाता है। जिसे अकृषिक घोषित किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त भूखण्ड की जांच कराकर तहसील से आख्या प्राप्त की गयी । राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 29.01.16 मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम– अखोप, परगना सि0गर्वी, तहसील बेल्थरारोड, जिला– बलिया अन्तर्गत स्थित आ0नं0 705 रकबा 2.023 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख मे वादीगण के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है, तथा मौके पर अकृषिक है। तहसीलदार बेल्थरारोड ने दिनांक 29.01.16 को अग्रसारित कर आख्या प्रेषित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा– अखोप, परगना सि0गर्वी की आ0नं0 705 रकबा 2.023 हे0 भूमि मौके पर अकृषिक भूमि है तथा उसका कृषि कार्य में उपयोग नही होता है, ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूखण्ड मय रकबा अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अवरोध प्रतीत नहीं होता हैं।

आदेश

अतः मौजा अखोप परगना सि0गर्वी के आ0नं0 705मि0 रकबा 2.023हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय ।

ह0 अपठनीय

(राधेश्याम पाठक)

उपजिलाधिकारी, बेल्थरारोड।

दिनांक : 08.02.2016

नकलकर्ता – [illegible]

मिलानकर्ता – [illegible]

[illegible] – 180

[illegible] पेशकार [illegible]

प्रार्थना पत्र का दिनांक 08.2.2016

[illegible] का दिनांक 09.2.2016

जारी करने का दिनांक 09.2.2016

उजरत ……[illegible]……

[illegible] ……[illegible]……

प्रमाणित प्रतिलिपि

[illegible]